राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयोजना प्रकोष्ठ)
दूरभाष नं. 0141–2385027, 2227847, ई–मेलः rajpr_dsplan@rediffmail.com

क्रमांक एफ.4( )पराविं/आप्र./जियो./2014–15/ 1082 जयपुर, दिनांकः 20-10-2014

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद – टोंक व उदयपुर।

विषयः– वृहद् एकीकृत जिला वार्षिक योजना 2015–16 के निर्माण हेतु दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने बाबत।

विषयान्तर्गत लेख हैं कि भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य के टोंक व उदयपुर जिलों में पायलट आधार पर वृहद् एकीकृत जिला वार्षिक योजना 2015–16 का निर्माण कर प्रस्तावों को प्लान प्लस सॉफ्टवेयर में दर्ज कर माह दिसम्बर, 2014 तक भारत सरकार को प्रेषित किया जाना है। अतः उक्त योजना को तैयार करने हेतु दोनो जिलों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की अध्यक्षता में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4 ( ) पराविं/आप्र/सीआईडीपी/2015–16/985 दिनांक 10.09.2014 द्वारा गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं योजना निर्माण से संबंधित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यशाला का निम्नानुसार आयोजन किया जायेगा :–

क्र.सं.	जिला	दिनांक	विवरण
1.	टोंक	27.10.2014	जिला स्तरीय समन्वय समिति की कार्यशाला।
2.	टोंक	28.10.2014	योजना निर्माण से संबंधित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला।
3.	उदयपुर	30.10.2014	जिला स्तरीय समन्वय समिति की कार्यशाला।
4.	उदयपुर	31.10.2014	योजना निर्माण से संबंधित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला।

उक्तानुसार कार्यशाला का ऐजेण्डा एवं कार्यक्रम संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। इस क्रम में कार्यशाला में प्रतिभागियों के चाय–पानी व मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था भी आपके स्तर से की जानी है। इस पर होने वाला व्यय जिला परिषद के पी. डी. खाते में विभागीय योजनाओं में उपलब्ध राशि में से वहन किया जावेगा, जिसका विभाग द्वारा राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान मद से पुनर्भुगतान किया जायेग। कार्यशाला संबंधित जिला परिषद सभागार में रखी जावे, जिसमें प्रोजक्टर, कम्प्यूटर इत्यादि की व्यवस्था हो ताकि कार्यशाला में पावॅर–पॉईन्ट प्रजन्टेशन के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया जा सकें। उक्त कार्यशाला सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

कृपया इस हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।
संलग्न–उपरोक्तानुसार।

संयुक्त शासन सचिव
(जिला आयोजना)

D:\K-New D Planning\PL Saini\District Plan 2014-15\LETTER.docx

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलेक्टर— टोंक व उदयपुर।
2. मुख्य आयोजना अधिकारी आयोजना प्रकोष्ठ, जिला परिषद — टोंक व उदयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. श्री पी. आर. शर्मा, सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
5. श्री सुमन कुमार सिंह, एम एण्ड ई विशेषज्ञ, यूनिसेफ, जयपुर।
6. श्री के.सी. मीणा, उप निदेशक, श्री अशोक कुमार वर्मा, सांख्यिकी अधिकारी एवं श्री नीरज झॉ, राज्य सहजकर्ता यूनिसेफ को निर्देशित किया जाता हैं कि वे उक्त तिथियों में उपस्थित होकर निर्धारित ऐजेण्डा एवं कार्यक्रम के अनुसार कार्यशाला में प्रस्तुतीकरण देवें।

संयुक्त शासन सचिव
(जिला आयोजना)